न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 04 / 2020 दायर दिनांक 15.12.2020

उनवान

1. सवाईराम पिता प्रताप जाति लौहार, आयु वयस्क, निवासी गोदियाना तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सुरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. चांदीदेवी पत्नि लेहरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवानीबाई पत्नि गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत सुरपुर नामान्तरण सं0 99, दिनांक 05.07.2008

निर्णय दिनांकः 24.02.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: निर्णयः—

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अपीलान्ट ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा गोदियाना, पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन हल्के में स्थित खाता संख्या 64 की खसरा आ0सं0 191 रकबा 0.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है0 है। इस आराजीयात में अपीलान्ट 1/2 हक हिस्सा निहित है जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को आराजी रकबा 1 में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का जिसमें से 0.22 है0 आराजीयात दिनांक 03.2008 को विक्रय की और उसका रजिस्टर्ड बहनामा निस्पादित कराया इस बहन [redacted] का नामान्तरण ग्राम पंचायत सुरपुर द्वारा दिनांक 05.07.2008 को फैसल किया जिसमें अपीलान्ट का पुरा हिस्सा 1/2 विक्रेता अर्थात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जो कि राजस्व कर्मचारी व पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विक्रय पत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

बिना पढे ही सरसरी तौर पर पुरा हक हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर बडी कानुनी भूल की है जिसके कारण नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 05.07.2008 निरस्त होने योग्य है।

यह कि इस नामान्तरकरण में विक्रय पत्र निस्पादन दिनांक 03.04.2008 के अनुसार आराजी संख्या 191 में 1/2 में से मात्र 0.22 है0 रकबा ही या हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज होना चाहिये था शेष हिस्सा व रकबा अपीलान्ट के नाम दर्ज होना चाहिये था जिसको नही कर अपीलान्ट को अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट का कब्जा मात्र खरीद सुदा आराजीयात पर ही है शेष आराजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा होकर काश्त कर रहा है।

यह कि अपीलान्ट अपने हक हिस्से की आराजीयात पर केसीसी से ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकार्ड से दिनांक 25.09.2020 को नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया इसके आधार पर नामान्तरण संख्या 99 की भी प्रमाणित प्रति लेने पर राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय का जानकारी में आने से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि नामान्तरण सं0 99 दिनांक 05.07.2008 को निरस्त कर विक्रय पत्र दिनांक 03.04.2008 के अनुसार खोले जाने हेतु तहसीलदार कपासन को आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है।

यह कि अपीलान्ट को राजस्व रेकार्ड से दिनांक 25.09.2020 को राजस्व रेकार्ड से नामान्तरण की प्रमाणित प्रति लेने से जानकारी में आते ही उक्त अपील अविलम्ब पेश है एवं पूर्व विलम्ब की माफी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश है।

अतः प्रार्थना की कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं0 99 फैसल दिनांक 05.07.2008 को निरस्त कर अपीलान्ट द्वारा विक्रय सुदा विक्रय पत्र दिनांक 03.04.2008 के अनुसार नया नामान्तरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तहसीलदार कपासन को आदेश प्रदान किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 24.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 ने हाजिर होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 तहसीलदार कपासन ने पूर्व में

विक्रेता का आराजी नम्बर 191 रकबा 0.81 है0 में से 1/4 हिस्सा बदस्तुर रहेगा का आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किये। आज दिनांक 24.02.2022 को वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा पूर्व में लिये गये रहन को जमा कराकर आराजीयात को रहन मुक्त करा दिया गया है। अतः अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरण संख्या 99 दिनांक 05.07.2008 को निर्णित करने में विधिक भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 0.22 है0 भूमि का ही बेचान किया गया, परन्तु अपीलान्ट की समस्त आराजीयात पर नामान्तरण निर्णित किया जाकर विधिक त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 तहसीलदार कपासन द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा यह निवेदन किया कि धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गुजरी अवधि को कण्डोन किया जाने की आज्ञा प्रदान करावें। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत सुरपुर द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 99 दिनांक 05.07.2008 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा विक्रयसुदा विक्रय दिनांक 03.04.2008 के अनुसार नियमानुसार नया नामान्तरकरण किसी अपीलीय न्यायालय का स्थगन न हो तो निर्णित किया जावें। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested